

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग  
मुख्यालय, अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-AIBP-(338)/2011-Part-III- 1569 (मो०) /पटना, दिनांक- 14-08-2020  
प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,  
अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय), अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,  
लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा।

विषय:-केन्द्र प्रायोजित AIBP योजनान्तर्गत लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा में क्रियान्वित 14 योजनाओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-108 (मो०), दिनांक-22.01.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी परन्तु आपके द्वारा अभी तक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। इस स्पष्टीकरण के अभाव में केन्द्रांश की विमुक्ति हेतु प्रस्ताव केन्द्र को भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कि तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण निश्चित रूप से समर्पित की जाय। अन्यथा समझा जायगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय), अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1569 (मो०)

/पटना, दिनांक-14-08-2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय), अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।